राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ–14(7)पराविं/नियम/विधि/पंरा/2017/121 जयपुर दिनांकः– 08/02/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद– समस्त ।

विषयः–अवधिपार पट्टा विलेखों के पुनर्विधिमान्यकरण के क्रम में।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 में उप नियम 167(ए) जोड़कर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख के पुनर्विधिमान्यकरण का प्रावधान किया गया है।

उक्त प्रयोजन हेतु विभागीय अधिसूचना दिनांक 02.01.2018 से शुल्क का निर्धारण भी किया जा चुका है। उक्त प्रावधानों के फलस्वरूप ऐसे विलेख जिनके पंजीयन की निर्धारित समय सीमा (जो स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत विहित की गई हैं) के समाप्त होने के पश्चात् पुनर्विधिमान्यकरण किया जा सकता है। इस प्रावधान का उपयोग कर, ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में जारी ऐसे पट्टे धारक, जो पट्टा विलेख का पंजीयन नहीं करा पाये है, उनको पंजीयन की सुविधा प्रदान कर, लाभान्वित किया जा सकता हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व में जारी विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख के पंजीयन हेतु उक्त प्रावधानों का उपयोग कर, आमजन को राहत प्रदान करावें ।

सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिसूचनाओं की प्रति संलग्न है।

(सुदर्शन सेठी) 8.2.2018
अति0 मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः– विकास अधिकारी,पंचायत समिति(समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युत आदेश की प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत को अग्रेषित कर इसकी पालना सुनिश्चित करें।

शासन उप सचिव(विधि)

E:\pa di\LETTER-2015.docx